प्रेषक,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 03 मई, 2018**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की समय सीमा (45 दिन) के अन्दर कार्यों का विभाजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 लोक लेखा समिति (2017-2018) की दिनांक-05.04.2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न बैठक में मा0 समिति द्वारा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान किये जाने की समय सीमा में सम्पादित होने वाले कार्यों को विभाजित करने की अपेक्षा की गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रस्तर-3.2 में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है:-

"3.2 जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारिख से 45 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।"

3- मा0 लोक लेखा समिति की उक्त बैठक में की गयी अपेक्षानुसार शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के अन्दर कार्यों का विभाजन निम्नवत किया जाता है:-

(1) मा0 सदस्य से प्रस्ताव प्राप्त होने के 07 दिवस के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर आगणन उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर से कार्यदायी संस्था को पत्र प्रेषित किया जाना।

(2) आगामी 25 दिन (8 से 32 दिन) के भीतर कार्यदायी संस्था द्वारा निम्न कार्यवाही की जानी है:-

(अ) कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य का स्थलीय सत्यापन।

(ब) भूमि स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त करना एवं उसका परीक्षण।

(स) यदि अन्य विभाग एवं संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो उसे प्राप्त किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(द) अन्य विभागों से किसी विषय में पुष्टि या प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो पुष्टि/सहमति प्राप्त करना।

(3) आगामी 05 दिवस (33 से 37 दिन) में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्राक्कलन का परीक्षण कर कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति की कार्यवाही करना।

(4) अन्तिम 08 दिन (38 से 45 दिन) में चयनित कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त कराना।

(5) दुर्घटना, अग्निकाण्ड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय आर्थिक सहायता के मामले में पूरी प्रक्रिया पूर्व की भांति 07 दिन में ही पूर्ण की जानी होगी।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रस्तर-3.2 में उल्लिखित समय सीमा (45 दिन) के दृष्टिगत मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से उपरोक्त प्रस्तर-3 में किये गये कार्य विभाजन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2018/242(1)/अड़तीस-9-2018, तद दिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 को उनके पत्र सं0-जी0ओ0-86/कार्य0/वि0नि0/2018 दिनांक-26.04.2018 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में अपने स्तर से भी समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।